

60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को बस पास बनवाने हेतु आवश्यक सूचना

1. 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 प्रतिशत छूट के बस पास बनवाने के लिए स्वयं को विभाग की वेबसाइट <https://ebooking.hrtransport.gov.in/> पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण के दौरान अपनी निजी जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, गाँव का नाम, जन्म तिथि इत्यादि को पूर्ण रूप से जांच ले।
2. पंजीकरण के पश्चात विभाग की वेबसाइट <https://ebooking.hrtransport.gov.in/> पर स्वयं या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से Senior Citizen Bus Pass के विकल्प को चुनते हुए ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है।
3. वरिष्ठ नागरिक ऑनलाईन आवेदन के दौरान वाछिंत दस्तावेज पूर्ण रूप से <https://ebooking.hrtransport.gov.in/> पोर्टल पर अपलोड करना/करवाना सुनिश्चित करें।
4. आवेदन के दौरान वाछिंत दस्तावेज अपलोड न करने/स्पष्ट अपलोड न करने की स्थिति में आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा।